इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 591] भोपाल, सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2014—आग्रहायण 24, शक 1936

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-16-2-2012-बाईस-पं.-2.—मध्यप्रदेश ग्रामीण नल-जल प्रदाय योजना के संचालन एवं संधारण नियम, 2014 में उन नियमों का, जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 7 के खण्ड (ठ) तथा धारा 53 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है, कि ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन का अवसान होने के पश्चात् उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

नियमों का प्रारूप

(1) **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ग्रामीण नल-जल प्रदाय योजना संचालन एवं संधारण नियम, 2014 है.

(2) ये ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

(2) **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक एक सन् 1994);

(ख) ''बिल संग्रहकर्ता'' से अभिप्रेत है, ग्राम में पेयजल योजना के माध्यम से प्रदाय कराए जा रहे पेयजल के लिए उपभोक्ताओं से जल प्रभार एकत्र करने के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्ति;

(ग) ''व्यावसायिक कनेक्शन'' से अभिप्रेत है, ऐसे नल कनेक्शन जिसमें उपभोक्ता द्वारा जल का उपयोग डेयरी, वाहनों की सर्विसिंग, कपड़ों की धुलाई और निजी अस्पतालों आदि के प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है. इसमें निजी शिक्षण स्वास्थ्य संबंधी और अन्य गैर-सरकारी संगठनों के प्रयोजन भी सम्मिलित हैं;

(घ) ''उपभोक्ता'' से अभिप्रेत है, ग्राम में निवासरत वह व्यक्ति/संस्था जो उसकी पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति नल-जल प्रदाय योजना के माध्यम से समुचित प्रक्रिया द्वारा उपयोग कर रहा हो, और इसमें ऐसे परिवार भी सम्मिलित हैं, जो स्टैंड पोस्ट से पेयजल लेते हैं;

(ङ) ''ग्रामीण जल प्रदाय योजना'' से अभिप्रेत है, किसी एकल ग्राम में पाइप लाईन प्रणाली के माध्यम से पेयजल प्रदाय की प्रकिया;

(च) ''गृहस्थी (हाऊस होल्ड) कनेक्शन'' से अभिप्रेत है, पाइपलाइन प्रणाली के माध्यम से ग्राम में नल-जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के प्रयोजन के लिए लिया गया जल कनेक्शन;

(छ) ''औद्योगिक कनेक्शन'' से अभिप्रेत है, ग्राम में नल-जल स्कीम के माध्यम से औद्योगिक उपयोग के प्रयोजन के लिए लिया गया जल कनेक्शन;

(ज) ''संस्थागत कनेक्शन'' से अभिप्रेत है, ऐसा कनेक्शन, जो शासकीय शिक्षण संस्थाओं सरकारी अस्पतालों, आंगनबाड़ी केन्द्रों और अन्य सरकारी कार्यालयों, भवनों तथा संगठनों के लिए लिया गया हो;

(झ) ''पेयजल उप-समिति'' से अभिप्रेत है, नियम 3 के अधीन गठित नल-जल प्रदाय योजना का प्रबंधन, संचालन तथा संधारण करने वाली उप-समिति;

(ञ) ''समूह ग्रामीण जल प्रदाय योजना'' से अभिप्रेत है, समुचित पाइपलाइन प्रणाली के माध्यम से एक से अधिक ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने वाली योजना;

(ट) ''सार्वजनिक नल'' (स्टैंड पोस्ट) से अभिप्रेत है, पेयजल प्रदाय योजना के अधीन स्थापित ग्राम में ऐसे सार्वजनिक नल कनेक्शन, जिसका उपयोग सामान्यत: आसपास के निवासियों द्वारा पेयजल के लिए किया जा रहा हो;

(ठ) ''जल कर (टैरिफ)'' से अभिप्रेत है, प्रत्येक घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक तथा संस्थागत कनेक्शन के लिए और स्टैंड पोस्ट के माध्यम से पेयजल प्रदाय करने के लिए जल कर प्रभार. ये प्रभार संचालन व्यवस्था के व्यय के लिए उपगत होंगे.

3. **पेयजल उप-समिति का गठन.**—(1) जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्राम सभा की अनुशंसा पर एक पेयजल उप-समिति का गठन करेगा.

(2) पेयजल उप-समिति ग्राम के प्रत्येक गली/वार्ड/मोहल्ले के एक पुरुष तथा एक महिला सदस्य से मिलकर बनेगी.

(3) पेयजल उप-समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में से कम से कम एक महिला सदस्य नामनिर्दिष्ट होगी. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का परिवार उपलब्ध नहीं है तो यह नियम लागू नहीं होगा.

4. **पेयजल उप-समिति का अध्यक्ष.**—उप-समिति के अध्यक्ष को पन्द्रह दिन के भीतर सदस्यों की पारस्परिक सहमति से निर्वाचित किया जाएगा, यदि किन्हीं कारणों से अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं किया जा सकता है तो सदस्य उन्हीं में से हिन्दी वर्णमाला के वर्णक्रमानुसार अध्यक्ष का चयन करेंगे, जो पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा.

5. **पेयजल उप-समिति की अवधि.**—पेयजल उप-समिति की अवधि पांच वर्ष की होगी. जनपद पंचायत द्वारा ग्राम सभा की अनुशंसा पर समिति की अवधि को आगामी पांच वर्ष की कालावधि के लिए और बढ़ाया जा सकेगा. यदि विद्यमान पेयजल उप-समिति का कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो अवधि को आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिए पुन: बढ़ाया जा सकेगा.

6. **पेयजल उप-समिति का सदस्य सचिव.**—पेयजल उप-समिति के सचिव को सदस्यों की पारस्परिक सहमति से निर्वाचित किया जाएगा, पेयजल उप-समिति के समस्त कर्तव्यों का निर्वहन उप-समिति के सचिव द्वारा किया जाएगा.

7. **पेयजल उप-समिति की वित्तीय व्यवस्था.**—(1) पेयजल उप-समिति का किसी बैंक में एक पृथक बचत बैंक खाता खोला जाएगा. खाता अध्यक्ष और सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होगा.

(2) जल कर के रूप में इकट्ठी की गई रकम तथा पेयजल शीर्ष के अधीन राज्य सरकार तथा ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त अनुदान को इस खाते में जमा किया जाएगा.

(3) जल दर के रूप में प्राप्त रकम का उपयोग बिजली बिल के भुगतान, मोटर पंप के संचालन तथा संधारण, पाइपलाइनों के संधारण तथा नल-जल प्रदाय योजना के समस्त अन्य सुसंगत प्रयोजनों के लिए किया जाएगा.

(4) रकम की प्राप्ति तथा उपगत व्यय की दैनिक आधार पर कैशबुक में की गई समुचित मासिक लेखों की प्रविष्टियों का संधारण रजिस्टर में किया जाएगा. यह अभिलेख दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा, एक प्रति पेयजल उप-समिति के सचिव के पास रखी जाएगी.

(5) उप-समिति का सचिव, लेखे का संधारण करेगा. वार्षिक लेखा ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा. चालू वर्ष में प्राप्त रकम और उपगत व्यय के आधार पर आगामी वर्ष का बजट तैयार किया जाएगा.

8. **पेयजल उप-समिति की बैठक.**—(1) पेयजल उप-समिति की बैठक प्रत्येक माह की जाना आज्ञापक है और यदि आवश्यक हो तो वह एक बार से अधिक की जा सकेगी. बैठक की तारीख, समय, कार्यसूची (एजेंडा) तथा बैठक की सूची पेयजल उप-समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् उप-समिति के सदस्य सचिव द्वारा जारी की जाएगी.

(2) उप-समिति की गणपूर्ति कुल सदस्यों के आधे से होगी और यदि उप-समिति की बैठक में गणपूर्ति नहीं है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाएगी. स्थगित बैठक पुनः प्रारंभ होने पर गणपूर्ति का पूरा होना आज्ञापक नहीं है.

(3) उप-समिति के कार्यवाही रजिस्टर में कार्यवृत का अभिलेख किया जाएगा. उप-समिति के सचिव पारित संकल्पों को कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज करेंगे. बैठक में उपस्थित समस्त सदस्य रजिस्टर में हस्ताक्षर करेंगे और फिर क्रमशः सदस्य सचिव तथा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर तथा प्रतिहस्ताक्षर भी किए जाएंगे.

(4) यदि कोई सदस्य बिना अवकाश लिये समिति की लागातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता उप-समिति के कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों के अनुमोदन से समाप्त कर दी जाएगी.

9. **उप-समिति की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य.**—(1) उप-समिति, पेयजल प्रदाय योजना के प्रबंधन तथा संधारण के अधीन उदगृहीत की जाने वाली जल टैरिफ की दरों को नियत करेगी. जल दर (टैरिफ) घरेलू कनेक्शन, स्टेण्ड पोस्ट, व्यावसायिक कनेक्शन तथा औद्योगिक कनेक्शन पर आधारित होंगी. जल दर की न्यूनतम दर अनुसूची-1 के अनुसार होगी. सरकारी निकायों के कनेक्शन घरेलू कनेक्शनों की तरह माने जाएंगे. यदि अपेक्षित हो, तो उप-समिति विहित न्यूनतम दर से अधिक जल दर उद्गृहीत करने में सक्षम हैं.

(2) कनेक्शन के आवंटन के पूर्व पेयजल उप-समिति द्वारा उपभोक्ता के साथ एक संविदा/ अनुबंध किया जाएगा. कनेक्शन के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होने पर ग्राम सभा को निर्दिष्ट किया जाएगा और ग्राम सभा का विनिश्चय अंतिम तथा समस्त संबंधित पक्षों पर बंधनकारी होगा.

(3) नये घरेलू, संस्थागत, व्यावसायिक और औद्योगिक नल-जल कनेक्शन के लिए सुरक्षा रकम पेयजल उप-समिति द्वारा अनुसूची-2 के अनुसार विनिश्चत की जाएगी. किसी दशा में, यदि उपभोक्ता नल कनेक्शन का विच्छेदन चाहता है तो जल दर का बकाया, टूट-फूट, क्षतिपूर्ति आदि, यदि कोई हो, के समायोजन के पश्चात्, सुरक्षा रकम वापस की जाएगी.

(4) नये घरेलू संस्थागत और स्टैंड पोस्ट कनेक्शन ''आधा इंच'' व्यास अर्थात् (15 मि.मी.) व्यास से अधिक के लिए आवंटित नहीं किए जायेंगे. व्यावसायिक कनेक्शन क्रमशः 3/4 इंच अर्थात् (20 मि.मी.) औद्योगिक कनेक्शन 1 इंच अर्थात् (25 मि.मी.) व्यास से अधिक के लिए आवंटित नहीं किए जाएंगे. योजना के अधीन स्टैंड पोस्ट कनेक्शन कम संख्या में स्वीकृत किए जाएंगे.

(5) यदि उपभोक्ता द्वारा तीन माह से अधिक के लिए जल कर का भुगतान नहीं किया गया है तो पेयजल उप-समिति को आगामी माह में जल कनेक्शन के विच्छेदन की शक्ति होगी.

(6) यदि उपभोक्ता पेयजल का अपव्यय करता है, जांच पश्चात् यह प्रमाणित हो जाता है कि जल का अपव्यय हो रहा है तो उप-समिति प्रत्येक बार के अपव्यय के लिए न्यूनतम रुपये 100/- का जुर्माना अधिरोपित करेगी.

(7) पेयजल उप-समिति योजना के प्रबंधन, संचालन तथा संधारण के लिए आवश्यकतानुसार पंप ऑपरेटर कम प्लंबर मानदेय आधार पर नियुक्त करेगी.

(8) पेयजल उप-समिति, सचिव के लिए पेयजल उप-समिति योजना के अभिलेख (रिकार्ड) के संधारण हेतु मानदेय का उपबंध कर सकेगी.

(9) पेयजल उप-समिति आनुपातिक कमीशन आधार पर प्रस्तावित जलदर संग्रहण के प्रयोजन के लिए बिल संग्रहकर्ता को भाड़े पर रख सकती है.

(10) पेयजल उप-समिति पेयजल प्रदाय योजनाओं का प्रबंधन और संधारण या तो भागत: अथवा पूर्णत: बाह्य स्त्रोतों से अनुबंध के माध्यम से किसी अशासकीय/ शासकीय संगठन से करा सकेगी.

10. **समूह पेयजल प्रदाय योजना.**—(1) मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल स्त्रोत से ग्राम की सीमा तक समूह पेयजल प्रदाय योजना के संचालन, संधारण के लिए जिम्मेदार होगा.

(2) यह जल थोक मीटर कनेक्शन के माध्यम से ग्राम को प्रदाय किया जाएगा.

(3) समूह पेयजल प्रदाय योजना के अधीन थोक जल दर राज्य सरकार/ मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा नियत की जाएगी.

(4) मध्यप्रदेश सरकार को पेयजल प्रदाय योजना के प्रबंधन, संचालन तथा संधारण कार्य का या तो पूर्णत: अथवा भागत: किसी अशासकीय/ शासकीय संगठन को अनुबंध के तौर पर देने की शक्ति होगी.

(5) ग्राम की पेयजल प्रदाय योजनाओं का आंतरिक जल वितरण तंत्र पेयजल उप-समिति के माध्यम से प्रबंधित, संचालित और संधारित किया जाएगा.

(6) पेयजल उप-समिति द्वारा समूह जलप्रदाय योजना की आंतरिक जल वितरण प्रणाली के संचालन तथा संधारण पर आय तथा व्यय के अभिलेख रखे जाएगे. वार्षिक लेखे की समीक्षा जिला पंचायत/ जनपद पंचायत के कर्मचारिवृंद के माध्यम से की जाएगी.

(7) गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए न्यूनतम कनेक्शन प्रभार रुपए 100/- तथा गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों के लिए रुपए 500/- प्रभारित किया जाएगा.

(8) उपभोक्ता को थोक जल प्रदाय की दशा में, पेयजल उप-समिति मीटर कनेक्शन और जल टेरिफ प्रभार के माध्यम से पेयजल प्रदाय करेगी जो प्रति किलो लीटर के आधार पर विनिश्चित किया जाएगा.

(9) पेयजल उप-समिति उपभोक्ता से प्रत्येक माह की पांच तारीख तक जलकर संग्रहण के लिए उत्तरदायी होगी तथा मध्यप्रदेश जल निगम/ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को माह की दस तारीख तक थोक जल प्रभार का भुगतान करेगी.

अनुसूची-एक

[नियम 9(1) देखिए]

अनुक्रमांक (1)	नल कनेक्शन का प्रकार (2)	जल कर की दर (3)
1	गृहस्थी (हाउस होल्ड) कनेक्शन	रुपए 60/- प्रति परिवार प्रति माह
2	व्यवसायिक कनेक्शन	रुपए 200/- प्रति कनेक्शन प्रति माह
3	औद्योगिक कनेक्शन	रुपए 1000/- प्रति कनेक्शन प्रतिमाह या जल मीटर के अनुसार.
4	स्टैंड पोस्ट उपयोगकर्ता	रुपए 15/- प्रति परिवार प्रति माह

अनुसूची-दो
[नियम 9(3) देखिए]

अनुक्रमांक (1)	नल कनेक्शन का प्रकार (2)		नये कनेक्शन प्रतिभूति निक्षेप (3)	नये कनेक्शन प्रभार (4)
1	गृहस्थी (हाउस होल्ड) कनेक्शन	ए.पी.एल.	100/-	400/-
		बी.पी.एल.	50/-	50/-
2	व्यावसायिक कनेक्शन		1000/-	1500/-
3	औद्योगिक कनेक्शन		2000/-	2000/-
4	स्टैंड पोस्ट उपयोगकर्ता		—	—

No. F-16-2-2014--XXII-P-2.—The following draft of rules in the Madhya Pradesh Gramin Nal Jal Praday Yojna Ke Sanchalan Evam Sandharan Rules, 2014 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with clause (1) of Section 7 and 53 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) is hereby published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of its publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette".

Any objection or suggestion which may be receive from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period, specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF RULES

1. **Short title and Commencement.**—(1) This rules may be called the Madhya Pradesh Gramin Nal Jal Praday Yojana Sanchalan Evam Sandharan Niyam, 2014.

(2) They shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.—** In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994);

(b) "Bill Collector" means a person deputed to collect water charges in a village from consumers for drinking water supply through Tap Water Supply Scheme;

(c) "Commercial connection" means Tap connection in which using water by the consumer for the purposes of dairy, vehicle servicing, laundry services and private hospitals etc. and also includes the purposes of Private educational, Health Related and other Non Government Organization;

(d) "Consumer" means the person/institution, residing in a village who is using water by Tap Water Supply Scheme by proper procedure to fulfill his/her drinking water requirements and also includes families who takes drinking water from stand post;

(e) "Gramin Jal Praday Yojana" means the process of supply drinking water in any single Village through pipe line system;

(f) "Household Connection" means the water connection taken under Tap Water Supply Scheme in village for the purpose of fulfilling the domestic need through pipeline;

(g) "Industrial Connection" means the water connection taken in village through Tap Water Supply Scheme for purposes Industrial use;

(h) "Institutional Connection" means the connection taken for Government Educational Institutes, Government Hospitals, Aanganwadi Centers and other Government offices, buildings and organizations;

(i) "Paye Jal Up-Samiti" means the Sub-Committee managing, operation and maintenance of Tap water supply scheme constituted under rule 3;

(j) "Samooh Gramin Jal Praday Yojana" means a scheme providing drinking water in more than one Village through proper pipe line system;

(k) "Stand post" means the public tap connections in a village established under Drinking Water Supply Scheme which are commonly used for drinking water by peoples residing nearby it;

(l) "Water Tariff" means the charges of water tax for every domestic, commercial, industrial and institutional connection and drinking water supply though stand post. These charges incurred to meet out expenditure of operation maintenance.

3. **Constitution of Drinking Water Sub-Committee.**—(1) The Chief Executive Officer of Janpad Panchayat shall constituted the Drinking Water Sub-Committee on the recommendation of Gram Sabha.

(2) Drinking Water Sub-Committee shall be consist one male and one female member from each lanes/wards/ *mohalla* of village.

(3) At least one female member nominated from the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for Drinking Water Sub-Committee. If Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward family are not-available, this rule shall not be applicable.

4. **Chairperson of Drinking Water Sub-Committee.**—The Chairperson of Sub-Committee shall be elected by the mutual consent of the members within fifteen days, if for any reason the election of chairperson could not be held, the members shall choose from amongst themselves to be chairperson as per hindi alphabet sequence would act as ex-officio chairperson.

5. **Tenure of Drinking Water Sub-Committee.**—The duration of Drinking Water Sub-Committee shall be five years. The terms of the committee may be extended for further period of five years by Janpad Panchayat on the recommendation of Gram Sabha. If the work of existing Drinking Water Sub-Committee is found satisfactory, the term may be again extended for further period two years.

6. **Member Secretary of Peya Jal Sub-Committee.**—The Secretary of Drinking Water Sub-Committee shall be elected by the mutual consent of the members, all duties of Drinking Water Sub-Committee shall be discharge by secretary of Sub-Committee.

7. **Financial arrangements of Peya Jal Up Samiti.**—(1) The Drinking Water Sub-Committee shall a separate saving bank account opened in any bank. The account shall be operated jointly signature by the Chairperson and Secretary.

(2) The amount raised as water tariff, grants received from State Government and Rural Development Department under drinking water head shall be deposited in this account.

(3) The Amount received as water tariff shall be used for payment of electricity bill, operation and maintenance of motor pump, maintenance of pipelines and all other relevant purposes of Tap Water Supply Scheme.

(4) Maintained proper monthly accounts entries of amount received and expenditure incurred in Cash book in the Register on a daily basis. This record will be made in duplicate, one copy shall be made kept by the secretary of Drinking Water Sub-Committee.

(5) The Secretary of the Sub-committee shall maintain the account. Annual accounts shall be approved by the Gram Sabha. Budget for ensuing year shall be prepared on the basis of amount received and expenditure incurred in the current year.

8. Meeting of Drinking Water Sub-Committee.—(1) It is mandatory to convene a meeting of Drinking Water Sub-Committee every month and if required, it can be held more than once. The date, time, agenda and list of the meeting shall be issued by the member secretary of the Sub-Committee after approval of the Chairperson of Drinking Water Sub-Committee.

(2) The quorum of Sub-Committee shall be one half of the total members and if there no quorum at the meeting of Sub-Committee shall be postponed for an hour. On resumptions of adjourned the meeting quorum the fulfillment is not mandatory.

(3) There shall be a minutes recording of proceeding register of the Sub-Committee. The secretary of the Sub-Committee shall be enter the resolutions passed in proceeding register. All members present in the meeting shall sign in the register and it shall also be signed and counter signed by Member Secretary and Chairperson respectively.

(4) If any member absent himself from three consecutive meeting of the committee without leave, he shall terminated, by the approval of at least 50 percent of members of Sub-Committee.

9. **Powers Functions and Duties of Sub-Committee.**—(1) The Sub-Committee shall be fixed by the rates of Water Tariff to be levied on management and maintenance of Drinking Water Supply Schemes. The water tariff shall be based on Household Connection, Stand Post, Commercial Connection and Industrial Connection. Minimum rate of water tariff shall be as per schedule 1, Connection of Government bodies shall be treated as household connections. If required, the Sub-Committee is competent to levy water tariff more than the minimum rate prescribed.

(2) A contract/agreement shall be entered by the Drinking Water Sub-Committee with the consumer before allotment of connection. Any dispute arising in respect of connection shall referred to the Gram Sabha and decision of Gram Sabha shall be final and binding on all the parties concerned.

(3) Security amount for new Domestic, Institutional, Commercial and Industrial Tap Water Service Connection shall be decided by the Drinking Water Sub-Committee as per schedule II. In case, the consumer wants to disconnection the tap connection, the security amount shall be refunded after adjustment water tariff, dues, breakage, compensation etc. if any.

(4) New Domestic, Institutional and Stand Post Connection shall not be allotted for more than "half inch" i.e. (15mm") in diameter. Commercial connection shall not be allotted for more than 3/4 inch i.e. (20mm), Industrial connection for more than 1 inch i.e. (25mm) in diameter respectively. Least number of stand post shall be sanctioned under the scheme.

(5) The Drinking Water Sub-Committee shall have the power to disconnect water connection in the fourth month, If water tax have not paid for more than three months, by consumer.

(6) If the Consumer wastes Drinking Water and after enquiry it is proved that the water is being wasted, the Sub-Committee shall impose a fine of minimum of Rs. 100/- for every instance of wastage.

(7) The Drinking Water Sub-Committee shall appoint the pump operator-cum-plumber on honorarium basis as per need for management, operation and maintenance of scheme.

(8) The Drinking Water Sub-Committee can provide honorarium to the secretary for maintain the record of the Drinking Water Sub-Committee Scheme.

(9) The Drinking Water Sub-Committee can hire the bill collector for propose of water tariff collection on proportional commission basis.

(10) The Drinking Water Sub-Committee can outsource the management and maintenance of drinking water supply schemes either partially or fully to any Non-Government/Government organization by way of agreement.

10. **Group Drinking Water Supply Scheme.**—(1) Madhya Pradesh Water Corporation Ltd./Public Health Engineering Department shall be responsible for operation, maintenance of group drinking water supply Schemes from the water source to village boundary.

(2) This bulk water shall be supply to village through metered connection.

(3) Bulk water tariff rates under the group drinking water supply scheme shall be fixed through the State Government/Madhya Pradesh Water Corporation Ltd.

(4) Government of Madhya Pradesh shall have power to give the management, operation and maintenance work of drinking water supply schemes either wholly or partially to any non-Government/Government organization by way of agreement.

(5) Internal water distribution network of village drinking water supply schemes shall be managed operated and maintained through Drinking Water Sub-Committee.

(6) The Drinking Water Sub-Committee shall be maintained income and expenditure records on operation and maintenance of intra village distribution network under multi village drinking water supply scheme. Yearly account shall be audited through Jila panchayat/Janpad panchayat staff.

(7) Minimum connection charge of Rs. 100/- for below poverty line (BPL) families and Rs. 500/- for above poverty line (APL) families shall be charged.

(8) In case of bulk water supply to consumer, Drinking Water Sub-Committee shall supply drinking water through metered connection and water tariff charges shall be decided per Kilo liter basis.

(9) The Drinking Water Sub-Committee shall be responsible to collect water tariff from the consumers by 5th of the month and paid bulk water charges to Madhya Pradesh Water Corporation Ltd./Public Health Engineering Department by 10th of the month.

SCHEDULE-I
[*See* rule 9(1)]

Annexure-I

S. No. (1)	Type of Tap Connection (2)	Rate of Water Tax (3)
1	Household Connection	Rs. 60/- per family per month.
2	Commercial Connection	Rs. 200/- per connection per month.
3	Industrial Connection	Rs. 1000/- per connection per month or according to water meter.
4	Stand Post User	Rs. 15/- per family per month.

SCHEDULE-II
[*See* rule 9(3)]

S. No. (1)	Type of Tap Connection (2)		New Connection Security Deposit (3)	New Connection charge (4)
1	Household Connection	APL	100/-	400/-
		BPL	50/-	50/-
2	Commercial Connection		1000/-	1500/-
3	Industrial Connection		2000/-	2000/-
4	Stand Post User		—	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.